

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10/11/11 के आलोक मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 9/10/13 को माननीय मंत्री गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन विभाग बिहार सह जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में अनुमोदन के प्रश्नात कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमण्डल छपरा पं० के पत्रांक 1002 दिनांक 17/07/14 एवं पत्रांक 1029 दिनांक 22/07/14 द्वारा निम्नांकित योजनाओं के उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

इसके कार्यान्वयन का दायित्व विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमण्डल छपरा पश्चिमी को सौंपा जाता है। योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में कार्यपालक अभियंता LAEO-01 छपरा को निदेश दिया जाता है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 6 में अंकित राशि की विमुक्ति हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से विमुक्त राशि का चेक / RTGS के माध्यम से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना के पदनाम से खाता स०- 0352101042061 IIFSC CODE- CNRB 0000352 KENRA BANK SOUTH GANDHI MAIDAN BRANCH, PATNA मे निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित किया जाय।

क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80 %	माननीय सदस्य का नाम
1	3	4	5	6	7	8
1	जलालपुर	ग्राम रुसी पंचायत भटकेशरी श्री राजाराम सिंह के टोला में 63 के०वी०ए० का ट्रॉन्सफार्मर अधिष्ठापन कार्य।	441126	441126	352900	श्री गौतम सिंह
2	मोंझी	ग्राम मोहम्मदपूर खुर्द में 63 के०वी०ए० का ट्रॉन्सफार्मर अधिष्ठापन कार्य।	293107	293107	234400	"
3	जलालपुर	ग्राम अनवल के टोला में 63 के०वी०ए० का ट्रॉन्सफार्मर अधिष्ठापन कार्य।	311372	311372	249000	"
4	जलालपुर	ग्राम कोपा बसडीला (बसवरिया टोला) में 63 के०वी०ए० का ट्रॉन्सफार्मर तथा विद्युतीकरण कार्य।	290134	290134	232100	"
5	मोंझी	ग्राम सोनबरसा बिन्देलिया में 63 के०वी०ए० का ट्रॉन्सफार्मर तथा विद्युतीकरण कार्य।	348331	348331	278600	"
कुल योग:-			1684070	1684070	1347000	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
विमुक्ति राशि

(सोलह लाख चौरसी हजार सत्तर रुपये मात्र)
(तेरह लाख सैतालीस हजार रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल छपरा पश्चिमी द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3757 दिनांक 2/09/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।
कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि स्थल वियादगस्त नहीं हैं, तथा कसा का जना जमान बाजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3757 दिनांक 02/09/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जवाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

80
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 421/यो0 दिनांक 23.7.14

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति कार्य प्रमण्डल छपरा पं० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- M.D North bihar power Distribution company Limited Patna को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त विमुक्त राशि EE LAEO-01 छपरा से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से राशि विमुक्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा